

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 111 / 2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

एस.एम.एफ.जी. इण्डिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड (पूर्व नाम फुलर्टन इण्डिया होम फाईनेन्स कम्पनी लि.), जरिये अधिकृत प्रतिनिधि जावेद अहमद खान
पंजीकृत कार्यालय - थर्ड फ्लोर, नम्बर 307, मेघ टॉवर, पी.एच. रोड, मधुरावोयल, चैन्नई (तमिलनाडु) कॉर्पोरेट कार्यालय - 5 व 6, "बी" विंग, सुप्रीम बिजनेस पार्क, सुप्रीम सिटी, पोवई, मुम्बई-400076, शाखा कार्यालय-केसर मॉल, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नम्बर 115-ए, अपेक्स मॉल के सामने, बापू नगर, टोंक रोड, जयपुर-302015

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. पुरुषोत्तम शर्मा

प्रथम पता:-मुकुन्दपुरा, पेवा, सीकर (राज.) 332002

द्वितीय पता:-प्लॉट नम्बर 26, पट्टा नम्बर 19361, खसरा नम्बर 1289, अंजनी विहार आवासीय योजना, महन्तों की कोठी, कंवरपुरा रोड, सीकर-332001

2. गणेश नारायण शर्मा

प्रथम पता:- घीरानियां (छोटा) सीकर (राजस्थान)

द्वितीय पता:- प्लॉट नम्बर 26, पट्टा नम्बर 19361, खसरा नम्बर 1289, अंजनी विहार आवासीय योजना, महन्तों की कोठी, कंवरपुरा रोड, सीकर-332001

3. आदिसागर कंस्ट्रक्शन प्रा०लि० जरिये प्रो. पुरुषोत्तम शर्मा

प्रथम पता:- 250, वार्ड नं. 19, कंवरपुरा रोड, महन्तो की कोठी, सीकर-332001 राजस्थान

द्वितीय पता:- प्लॉट नम्बर 26, पट्टा नम्बर 19361, खसरा नम्बर 1289, अंजनी विहार आवासीय योजना, महन्तों की कोठी, कंवरपुरा रोड, सीकर-332001

4. ममता शर्मा पत्नी गणेश नारायण शर्मा

प्रथम पता:- घीराईया छोटा, घीरानियां बडा, सीकर, 332025, राजस्थान

द्वितीय पता:- प्लॉट नम्बर 26, पट्टा नम्बर 19361, खसरा नम्बर 1289, अंजनी विहार आवासीय योजना, महन्तों की कोठी, कंवरपुरा रोड, सीकर-332001

-अप्रार्थीगण (ऋणी / बंधककर्ता)

2


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक:— 05 मई, 2025


1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री महेन्द्र कुमार स्वामी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **पुरुषोत्तम शर्मा, गणेश नारायण शर्मा, आदिसागर कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.** एवं **ममता शर्मा पत्नी गणेश नारायण शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **ममता शर्मा** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **प्लॉट नम्बर 26, पट्टा नम्बर 19361, खसरा नम्बर 1289, अंजनी विहार आवासीय योजना, महन्तों की कोठी, कंवरपुरा रोड, सीकर-332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 259.08 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में अन्य भूमि, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में प्लॉट नं. 27 एवं दक्षिण दिशा में अन्य भूमि स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 57,50,000/- रुपये (अक्षरे रुपये सत्यावान लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **10.08.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री संदीप दीक्षित उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा ऋण खाता को NPA कटेगिरी से हटाने अथवा NPA Stopped सम्बन्धित कोई विधिक दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही बैंक की NOC पेश की है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।


(**मुकुल शर्मा**)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.08.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **पुरुषोत्तम शर्मा, गणेश नारायण शर्मा, आदिसागर कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. जरिये प्रो. पुरुषोत्तम शर्मा एवं ममता शर्मा पत्नी गणेश नारायण शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **ममता शर्मा** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **प्लॉट नम्बर 26, पट्टा नम्बर 19361, खसरा नम्बर 1289, अंजनी विहार आवासीय योजना, महन्तों की कोठी, कंवरपुरा रोड, सीकर-332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 259.08 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में अन्य भूमि, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में प्लॉट नं. 27 एवं दक्षिण दिशा में अन्य भूमि स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **05 मई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (मुकुल शर्मा)
 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर